भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 104*

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

***104. श्री राहुल सिंह लोधीः**

श्री मितेश पटेल बकाभाईः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिनमें 12 आवश्यक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं (सीपीएचसी) के सभी विस्तारित सेवा पैकेज पूरी तरह से कार्यशील हैं;

(ख) वर्ष 2022 से अब तक उक्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर, बालोद जिलों तथा मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में उन्नत और नामित किया गया है;

(घ) विशेषकर असम सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र, राजस्थान, कुशीनगर जिले सहित उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा गुजरात के साबरकांठा लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत साबरकांठा और अरावली जिलों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार देश भर के आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल ब्लॉकों में कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उन्नयन किया गया है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में विशेषकर अल्पसेवित और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 104* के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ) दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली सहित देश भर में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके 1,82,944 एएएम को कार्यशील बनाया गया है। देश भर में कार्यशील एएएम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) शहरी, ग्रामीण, आदिवासी बहुल और आकांक्षी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के 12 पैकेज क्रमिक रूप से प्रदान करते हैं, जिनमें प्रजनन और शिशु परिचर्या सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) आदि शामिल हैं। सेवाओं के विस्तारित पैकेज को पूरा करने के लिए, आवश्यक दवाओं और निदान की सूची का विस्तार किया गया है ताकि पीएचसी-एएएम में 172 दवाएं और 63 निदान और एसएचसी-एएएम में 106 दवाएं और 14 निदान उपलब्ध हो सकें।

वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 तक कार्यशील एएएम की संचयी संख्या वर्षवार इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	एएएम की संचयी संख्या
2021-2022	1,17,440
2022-2023	1,59,526
2023-2024	1,72,148
2024-2025	1,76,887

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएम पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, कांकेर, बालोद, कुशीनगर, साबरकांठा, अरावली और आंध्र प्रदेश के जिलों में कार्यशील एएएम की संचयी संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों के 178 आदिवासी जिलों में कुल 30,817 एएएम और 27 राज्यों के 112 आकांक्षी जिलों में 24,327 एएएम कार्यशील हो चुके हैं।

यह मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) भी शामिल है, को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एएएम को सुदृढ़ और विस्तार करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के पूरक आरओपी वित्त वर्ष 2025-26 के तहत 123 शहरी पीएचसी-एएएम और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत 1139 शहरी एएएम को कार्यशील बनाने हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें अल्पसेवित और घनी आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील एएएम की संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील एएएम की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129
2	आंध्र प्रदेश	11,871
3	अरुणाचल प्रदेश	511
4	असम	4,963
5	बिहार	12,144
6	चंडीगढ़	60
7	छत्तीसगढ़	5,898
8	दिल्ली	222
9	दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीव	95
10	गोवा	306
11	गुजरात	10,696
12	हरियाणा	3,269
13	हिमाचल प्रदेश	2,764
14	जम्मू और कश्मीर	3,168
15	झारखंड	4,155
16	कर्नाटक	10,126
17	केरल	7,183
18	लद्दाख	321
19	लक्षद्वीप	13
20	मध्य प्रदेश	12,676
21	महाराष्ट्र	12,933
22	मणिपुर	420
23	मेघालय	621
24	मिजोरम	412
25	नागालैंड	485
26	ओड़िशा	7,374
27	पुदुचेरी	133
28	पंजाब	3,311
29	राजस्थान	12,669
30	सिक्किम	184
31	तमिलनाडु	8,502
32	तेलंगाना	5,050
33	त्रिपुरा	1,131
34	उत्तर प्रदेश	23,336
35	उत्तराखंड	2,357
36	पश्चिम बंगाल	13,456
कुल		**1,82,944**

अनुलग्नक-II

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार कांकेर, बालोद, कुशीनगर, साबरकांठा, अरावली और आंध्र प्रदेश के जिलों में कार्यशील एएएम की कुल संख्या:

क्र.सं.	राज्य	जिला	**कार्यशील एएएम की कुल संख्या**
1.	छत्तीसगढ़	कांकेर	243
2.		बालोद	245
3.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	321
4.	गुजरात	साबरकांठा	310
5.		अरावली	222
6.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	681
7.		विजयनगरम	554
8.		विशाखापत्तनम	130
9.		पूर्वी गोदावरी	418
10.		पश्चिम गोदावरी	422
11.		कृष्णा	431
12.		गुंटूर	290
13.		प्रकाशम	629
14.		एसपीएसआर नेल्लोर	587
15.		वाई.एस.आर.	470
16.		कुरनूल	495
17.		अनंतपुर	505
18.		चित्तूर	532
19.		पार्वतीपुरम मान्यम	325
20.		अनकापल्ली	484
21.		काकीनाडा	477
22.		कोनासीमा	488
23.		एलुरु	546
24.		एनटीआर	338
25.		बापतला	423
26.		पलनाडु	434
27.		तिरुपति	529
28.		अन्नामय्या	436
29.		श्री सत्य साई	443
30.		नांडयाल	444
31.		अल्लूरी सीताराम राजू	360
